सोशल मीडिया सेल आजमगढ़

पत्र सं0- 282/21 दिनांक- 15 जून 2021

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना-निजामाबाद

अपहरण के अभियोग में फरार चल रहा अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 04.06.2021 को थाना क्षेत्र निजामाबाद निवासी एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज करायी कि दिनांक 02.06.21 को सर्वेश यादव पुत्र राजकुमार साकिन त्रिमुहानी थाना निजामाबाद आजमगढ़ ने बहला फुसला के मेरी नाबालिग पुत्री को कही भगा ले गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 119 /21 धारा 363, 366 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़ पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी। इसी क्रम में लड़की की बरामदगी एवं बयान तथा मेडिकल परिक्षण के आधार पर उक्त मुकदमें में धारा 376 की बढोत्तरी तथा 7/8 पोस्को एक्ट को 3/4 पोक्सो एक्ट में तरमीम किया गया।

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ श्री सुधीर कुमार सिंह उक्त अभियोग में नामित अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री पंकज पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी सदर के के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक शिवशंकर सिंह मय हमराहीयान के अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु मिलने के संभावित स्थानो पर दबिश दी जा रही थी कि जरिये मुखबिर सूचना मिली कि मु0अ0सं0 119 /21 धारा 376, 363,366 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़ से सम्बन्धित अभियुक्त सर्वेश यादव पुत्र राजकुमार साकिन त्रिमुहानी थाना निजामाबाद आजमगढ़ सेन्टरवा मोड़ पर कही जाने की फिराक में वाहन का इन्तजार कर रहा है। इस सूचना पर प्र0नि0 मय हमराहीयान के मौके पर पहुंचे तो वहां पर खड़े एक व्यक्ति की तरफ देखने पर विश्वास हआ कि वह व्यक्ति मुकदमें से संबंधित है। व्यक्ति के पास पहुंचकर नाम पता पूछा गया तो अपना नाम सर्वेश यादव पुत्र राजकुमार साकिन त्रिमुहानी थाना निजामाबाद आजमगढ़ बताया। इत्मिनान होने के उपरान्त कारण गिरफ्तारी बताते हुये अभियुक्त को समय करीब 07.40 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 119/21 धारा 376, 363,366 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट

गिरफ्तार वांछित अभियुक्त

सर्वेश यादव पुत्र राजकुमार साकिन त्रिमुहानी थाना निजामाबाद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम

प्र0नि0 निजामाबाद श्री शिवशंकर सिंह मय हमराहीयान थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ।

थाना तरवाँ

गैगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित दो अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित,ईनामिया,गैंगेस्टर अभियुक्त की गिरफ्तारी विषयक चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री पंकज पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी लालगंज के कुशल निर्देशन में दिनांक 15.06.2021 को प्र0नि0 तरवाँ श्री स्वतन्त्र कुमार सिंह मय हमराह द्वारा वांछित /वारण्टी के गिरफ्तारी हेतु रासेपुर में मौजूद थे कि तभी मुखबिर ने आकर बताया कि मु0अ0सं0 74/2021 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना तरवां से समबन्धित वांछित अभियुक्तगण 1. शिवलाल मौर्या पुत्र वासू मौर्या 2. लालू उर्फ बृजभान मौर्या पुत्र शिवलाल मौर्या निवासीगण जमुवां थाना तरवां जनपद आजमगढ़ अपने घर पर मौजूद है तथा ऐसा लग रहा है कि अपने सामान को समेट कर कही भागने के फिराक में है। मुखबिर की सूचना पर प्र0नि0 तरवाँ मय हमराहियान के साथ रासेपुर से प्रस्थान कर ग्राम जमुवां अभियुक्तगण के घर के पास जैसे ही पहुँचा तो दरवाजे पर दो व्यक्ति दिखाई दिये पुलिस बल को अपने तरफ आते देख दोनो व्यक्ति पीछे मुड़कर अपने घर में भागने का प्रयास किये कि पुलिस बल द्वारा दौडाकर दोनो को घेरकर समय 9.10 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम शिवलाल मौर्या पुत्र वासू मौर्या व दूसरे ने अपना नाम लालू उर्फ बृजभान मौर्या पुत्र शिवलाल मौर्या निवासीगण जमुवां थाना तरवां जनपद आजमगढ़ बताया। गिरफ्तार अभियुक्तगणो को उनके अपराध से बोध कराते हुए चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 74/2021 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना तरवां जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

1. शिवलाल मौर्या पुत्र वासू मौर्या निवासी जमुवां थाना तरवां जनपद आजमगढ़।
2. लालू उर्फ बृजभान मौर्या पुत्र शिवलाल मौर्या निवासी जमुवां थाना तरवां जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

प्र0नि0 तरवाँ श्री स्वतन्त्र कुमार सिंह मय हमराह थाना तरवाँ जनपद आजमगढ।

थाना-निजामाबाद

चोरी के अभियोग में प्रकाश में आय़ा एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक- 09/10.02.2021को **आनन्द चौहान पुत्र बृजमोहन चौहान साकिन सालेहपुर** थाना निजामाबाद आजमगढ़ के घर रात्रि में हुये चोरी के सम्बंघ मेंअभियुक्तगण 1.संदीप यादव पुत्र शंभू यादव 2. विकाश यादव पुत्र रामू उर्फ रम्भू यादव साकिनान परानपुर आजमगढ़ व अज्ञात के विरुद्ध थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कर, विवेचना प्रारम्भ की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा थाना स्थानीय पर दर्ज चोरी के मुकदमें के अनावरण हेतु प्रभारी निरीक्षक निजामाबाद को निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में दिनांक – 15.06.2021 को उ0नि0 मोतीलाल पटेल मय हमराहीयान के देखभाल क्षेत्र, चेकिंग वाहन/संदिग्ध में मामूर थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली की मुकदमें में प्रकाश में आये अभियुक्त राकेश यादव पुत्र रामसूरत यादव साकिन कोईलारी थाना रानी की सराय आजमगढ़ रानी की सराय बाइपास मोड़ पर कही जाने के फिराक में खड़ा है। मुखबिर खास की सूचना पर विश्वास करके रानी की सराय बाइपास मोड़ पहुंचा जहां पर अभियुक्त राकेश यादव उपरोक्त को समय करीब 12.45 बजे हिरासत पुलिस में लेकर मा0 न्यायालय चालान किया जा रहा है।

पंजीकृतअभियोग –

मु0अ0सं0- 29/21 धारा-457,380 भादवि थानानिजामाबादआजमगढ़

गिरफ्तारअभियुक्त-

राकेश यादव पुत्र रामसूरत यादव साकिन कोईलारी थाना रानी की सराय आजमगढ़

गिरफ्तार करनेवालीटीम-

1.उ0नि0 श्रीमोतीलाल पटेलथानानिजामाबाद, आजमगढ

2. का0 आदित्य कुमार थाना निजामाबाद, आजमगढ़

थाना तरवाँ

01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे वांछित अभियुक्त/वारण्टी अभियुक्तो की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम मे अपर पुलिस अधीक्षक नगर जनपद आजमगढ श्री पंकज कुमार पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री मनोज कुमार रघुवंशी के कुशल-निर्देशन तथा प्रभारी निरीक्षक तरवां के कुशल नेतृत्व मे दिनाक 15.06.2021 को उ0नि0 ओमप्रकाश नारायण सिंह मय राह द्वारा बोंगरिया बाजार में मौजूद थे कि तभी मुखबिर खास आकर बताया कि मु0अ0सं0 139/2014 धारा 379/411/419/420 भादवि थाना तरवां जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त पप्पू यादव पुत्र लालचन्द्र यादव सा0 अली नगर थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ जो इस समय बोंगरिया बाजार में पौहारी बाबा जाने वाले रास्ते के तिराहे पर खड़ा है किसी वाहन का इन्जार कर रहा है। अगर जल्दी करेंगे तो वह पकडा जा सकता है कि मुखबिर खास की बातो पर विश्वास करके मुखबिर खास को साथ लेकर पौहारी बाबा जाने वाले तिराहे के लिये चल दिये जैसे ही बोंगरिया बाजार पुलिया क्रास करके आगे बढ़े तो एक व्यक्ति तिराहे पर खड़ा दिया जिसकी तरफ मुखबिर इशारा करके हट बढ़ गया कि मैं उ0नि0 मय राही का0 के साथ अपने अन्दर तत्परता व तेजी दिखाते हुये पौहारी बाबा तिराहे पर खड़ा व्यक्ति की तरफ तेजी से आगे बढ़े कि जैसे 15-20 कदम पहुंचे थे कि खड़े व्यक्ति कि निगाह पुलिस वालों पर पड़ गयी और पौहारी बाबा की तरफ जाने वाले मार्ग की तरफ भागने लगा कि पुलिस वाले 15-20 कदम जाते जाते घेर कर पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम पप्पू यादव पुत्र लालचन्द्र यादव सा0 अली नगर थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ बताया जिसे गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारी का स्थान – बोंगरिया बाजार पौहारी बाबा की तरफ जाने वाला मार्ग थाना तरवां आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग -

1- मु0अ0सं0 139/2014 धारा 379/411/419/420 भादवि थाना तरवां आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

1- पप्पू यादव पुत्र लालचन्द्र यादव सा0 अली नगर थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1- उ0नि0 ओमप्रकाश नारायण सिंह मय हमराह थाना-तरवां, आजमगढ़।

थाना- गम्भीरपुर

अज्ञात बदमाशों द्वारा युवक को गोली मारने वाला गिरफ्तार

श्री राममूरत यादव सा0 बहादुरपुर थाना गम्भीरपुर के लिखित तहरीर दिया गया कि अज्ञात बदमाशो द्वारा वादी के पुत्र अतुल को जान मारने की नियत से असलहे से फायर कर देने से अतुल के दाहिने पसली मे गोली लग गयी, के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 143/2020 धारा 307 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी जिसमे मजरुब के बयान के आधार पर धारा 504,506,34 भादवि का बढोत्तरी किया गया तथा अभियुक्त सूरज गौड पुत्र दिनेश गौड का नाम प्रकाश मे आया।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान वांछित/वारण्टी की गिरफ्तारी के तहत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के निर्देशन में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 143/20 धारा 307,504,506,34 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त सूरज गौड पुत्र दिनेश गौड सा0 खूरसू खास थाना देवगाव आजमगढ को मुखबीर की सूचना पर पहलवान ढाबा से कारण गिरफ्तारी बताकर आज दिनाक 15 .6.21को समय 11.15 बजे हिरासत पुलिस में लेकर, अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 143/20 धारा 307,504,506,34 भादवि, थाना-गम्भीरपुर, आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- सूरज गौड पुत्र दिनेश गौडसा0 खूरसू खास थाना देवगांव, आजमगढ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- प्र0 नि0 ज्ञानूप्रिया व0 उ0नि0 श्री नवल किशोर सिह व हे0 का0 इन्द्रपाल यादव थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़ ।